

# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा / जोन-06 / उपा. / डी- 2897 दिनांक... 28/9/23

जन सम्पर्क अधिकारी,  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।

विषय :- भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना सूर्य नगर-डी-1  
की सदस्य सूची के प्रकाशन करवाये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति की  
योजना सूर्य नगर-डी-1 की नियमन हेतु की सदस्यता सूची का प्रकाशन करवाकर  
प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करवाने का श्रम करावे।

संलग्न : सदस्यता सूची।

उपायुक्त जोन-06,  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।  
जविप्रा, जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-2569696) (सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (सम्बंधित कार्यालय); फैंक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)



# सूर्य नगर-D Ist विकास समिति

नाड़ी का फाटक, बैनाड़ रोड़, जयपुर-302012

क्रमांक : सूर्य/नगर/2018/समिति

परकरी  
21-11-2018 प्रेज 3

दिनांक 27/9/23

## सदस्यता सूची

योजना का नाम : सूर्य नगर D-1<sup>st</sup>

समिति : भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर (राज.)

स्थिति : नाड़ी का फाटक, बैनाड़ रोड़, जयपुर।

क्रमांक	नाम/पिता/ पत्नी	प्लॉट नं.	एरिया (स्क्.यार्ड)
1	जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री विडू सिंह	1	105
2	उर्मिला शर्मा पत्नी श्री शिव दयाल शर्मा	1A-2	240.59
3	श्रीमती राजबाला मीणा पत्नी श्री संतोष कुमार मीणा	3	117
4	श्रीमती अनिता देवी गुप्ता पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	4	130.10
5	गुरदीप सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह	4 ए	124.00
6	श्री नारायण लाल शर्मा पुत्र श्री गंगासहासय शर्मा	5	131.14
7	इंदु बाला पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार बंसल	6	131.00
8	कमला गुप्ता पत्नी श्री मदन लाल	7	134.00
9	मुकेश कुमार सैनी पुत्र श्री लाल चन्द सैनी	8	117.52
10	रेखा देवी पत्नी श्री यशपाल शर्मा	9	117.00
11	कृष्णा शर्मा पत्नी श्री पवन कुमार शर्मा	10 ए	72.50
12	श्री विनोद सैनी पुत्र श्री लाल चन्द सैनी	10	71.66
13	गीता देवी पत्नी श्री रमेश चन्द शर्मा	11	119.58
14	राकेश सैनी पुत्र श्री भंवर लाल सैनी	12-13	251.15
15	राकेश सैनी पुत्र श्री भंवर लाल सैनी	14	131.62
16	राहुल सैनी पुत्र श्री भंवर लाल सैनी	15	68.03
17	राकेश टेलर पुत्र श्री शिशुपाल टेलर	16 ए	90.00
18	मिथलेश शर्मा पत्नी श्री सुरेश चन्द शर्मा	16	100.00
19	राधेश्याम जांगिड पुत्र श्री द्वारका प्रसाद जांगिड	17	100.00
20	मंगत राम खण्डेलवाल पुत्र श्री सुगन चन्द	18	150.00
21	पुष्पा रानी गुप्ता पत्नी श्री ब्रह्मानन्द गुप्ता	19	100.00
22	संतरा कंवर पत्नी श्री हरि सिंह	20	100.00

उपायुक्त जोन-6

जयपुर, जयपुर

राधेश्याम जांगिड

ह. अध्यक्ष

सूर्य नगर डी-1<sup>st</sup> विकास समिति

कोषाध्यक्ष

ह. कोषाध्यक्ष

सूर्य नगर डी-1<sup>st</sup> विकास समिति

Mahender Singh

ह. सचिव  
सचिव

सूर्य नगर डी-1<sup>st</sup> विकास समिति



# सूर्य नगर-D Ist विकास समिति

नाड़ी का फाटक, बैनाड़ रोड़, जयपुर-302012

क्रमांक (155) 154

दिनांक 21/9/22

## सदस्यता सूची

योजना का नाम : सूर्य नगर D-1<sup>st</sup>

समिति : भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर (राज.)

स्थिति : नाड़ी का फाटक, बैनाड़ रोड़, जयपुर।

क्रमांक	नाम/पिता/ पत्नी	प्लॉट नं.	एरिया (स्क्.यार्ड)
23	रचना यादव पत्नी श्री मुकेश कुमार यादव	20 ए	100.00
24	निर्मला कुमारी पुत्री श्री चम्पा लाल लखेरा	21	150.00
25	सन्ती देवी पत्नी श्री सीताराम कुमावत	22	150.00
26	मधु सैन पत्नी श्री किशन लाल सैन	23	150.00
27	मुकेश वर्मा पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह टांक	24	150.00
28	प्रहलाद सैनी पुत्र श्री शंकर लाल सैनी	25	150.00
29	शंकर लाल पुत्र श्री पांचू राम	26	149.58
30	रेखा देवी पत्नी श्री प्रेम चन्द शर्मा	27	100.00
31	बसंत कुमार पुत्र श्री मधुसुदन जेवरिया	28	145.40
32	पप्पू कवर पत्नी श्री छोटू सिंह	29	142.50
33	रिंकू सिंह पुत्र श्री गिरवर सिंह	30	70.10
34	डॉ. हर्ष वर्धन वोरा पुत्र श्री शांति लाल वोरा	30 ए	69.47
35	राम चन्द सिंह पुत्र श्री सुवालाल मीणा	31	118.48
36	रोहिताश मीणा पुत्र श्री सुवालाल मीणा	31 ए	114.58
37	कृष्ण मुरारी पारीक पुत्र श्री रामगोपाल पारीक	32	103.79
38	सीताराम पुत्र श्री डगलाराम	33	107.63
39	सीताराम पुत्र श्री डगलाराम	34	84.16
40	सीताराम पुत्र श्री डगलाराम	35	90.71
41	पोखर मल पुत्र श्री डगला राम	36	163.00
42	पोखर मल पुत्र श्री डगला राम	37	126.69
43	पोखर मल पुत्र श्री डगला राम	38	126.69
44	ललिता देवी पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार	39	64.06

उपायुक्त जोन-6  
जयपुर

राधेश्याम जोशी

ह. अध्यक्ष  
अध्यक्ष

सूर्य नगर डी-1<sup>st</sup> विकास समिति

अजरंज लाल

ह. कोषाध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

सूर्य नगर डी-1<sup>st</sup> विकास समिति

Maharaja Singh

ह. सचिव  
सचिव

सूर्य नगर डी-1<sup>st</sup> विकास समिति

# सूर्य नगर-D Ist विकास समिति

नाड़ी का फाटक, बैनाड़ रोड़, जयपुर-302012

दिनांक 27/12/23

क्रमांक : 154 (156)

## सदस्यता सूची

योजना का नाम : सूर्य नगर D-1<sup>st</sup>

समिति : भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर (राज.)

स्थिति : नाड़ी का फाटक, बैनाड़ रोड़, जयपुर।

क्रमांक	नाम/पिता/ पत्नी	प्लॉट नं.	एरिया (स्क्.यार्ड)
45	सपना मीणा पत्नी श्री धर्मपाल मीणा	39 ए	65.07
46	तारा पारीक पत्नी श्री शशिकान्त पुरोहित	40	66.35
47	मिथलेश शर्मा पत्नी श्री दिनेश चन्द शर्मा	40 ए	65.92
48	शंकर लाल पुत्र श्री ईश्वर दास, नरेश कुमार पुत्र श्री शंकर लाल	41	66.66
49	आशीष फातमी पुत्र श्री खालिद फातमी	41 ए	66.66
50	घीसी देवी पत्नी श्री राधेश्याम	42	133.14
51	सुनील पुत्र कानाराम	43	133.87
52	तेजपाल पुत्र कानाराम	44	134.61
53	घनश्याम शर्मा पुत्र श्री हनुमान सहाय मिश्रा	45	67.52
54	श्रीमती केसर देवी पत्नी श्री रामचन्द	45 ए	67.85
55	गायत्री देवी पत्नी श्री मैनपाल शर्मा	46	88.88
56	मैनपाल शर्मा पुत्र श्री सुगन चन्द शर्मा	47	88.92
57	संतरा देवी पत्नी श्री मदन लाल	47 ए	88.89
58	अन्य	48	मौजूद नहीं
59	श्रीमती सोनम केड़िया पत्नी मनोज कुमार	49	131
60	श्रीमती सोनम केड़िया पत्नी मनोज कुमार	50	118
61	श्रीमती सोनम केड़िया पत्नी मनोज कुमार	51	124.50
62	राज वाई पत्नी श्री हरि सिंह परमार	52	125
63	प्रभा देवी पत्नी श्री केवल पासवान	53	118.61
64	प्रभाती देवी पत्नी श्री घासी राम अग्रवाल	54	105.06

उपायुक्त जोन-6  
जयपुर

राधेश्याम जोशी

ह. अध्यक्ष  
अध्यक्ष

सूर्य नगर डी-1 विकास समिति

धनरंग लाल

ह. कोषाध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

सूर्य नगर डी-1 विकास समिति

Mahendra Singh

ह. सचिव  
सचिव

सूर्य नगर डी-1 विकास समिति

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक. LU2012/JDA/2023-24/102960

दिनांक: 28/09/2023

लोक सूचना

ललित पालीवाल पुत्र वगता राम जाति पालीवाल निवासी वार्ड नं. 18, गायत्री चौक, बालोतरा ग्रामीण बाडमेर एवं वगता राम पुत्र मोडाराम जाति पालीवाल निवासी वार्ड नं. 18, गायत्री चौक, बालोतरा ग्रामीण बाडमेर जसिये मुख्यारआम श्री ललित पालीवाल पुत्र श्री वगताराम निवासी वार्ड नं. 18, गायत्री चौक, बालोतरा ग्रामीण बाडमेर


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है. अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	पीपला भरतसिंह, सांगानेर (जयपुर)	ललित पालीवाल पुत्र वगता राम जाति पालीवाल निवासी वार्ड नं. 18, गायत्री चौक, बालोतरा ग्रामीण बाडमेर	1168/259	227	रकबा 0.20 हेक्टे में से रकबा 0.0227
		वगता राम पुत्र मोडाराम जाति पालीवाल निवासी वार्ड नं. 18, गायत्री चौक, बालोतरा ग्रामीण बाडमेर	1166/259	176	रकबा 0.15 हेक्टे में से रकबा 0.0176
			1167/259	50	रकबा 0.16 हेक्टे में से रकबा 0.0050
कुल					0.0453

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 28-09-2023 को जारी की गयी।

  
प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102959

दिनांक: 28/09/2023

लोक सूचना

वगता राम पुत्र मोडाराम जाति पालीवाल निवासी बार्ड नं. 18, गायत्री चौक, बालोतरा ग्रामीण बाडमेर जरिये मुख्याराम श्री ललित पालीवाल पुत्र श्री वगताराम निवासी बार्ड नं. 18, गायत्री चौक, बालोतरा ग्रामीण बाडमेर


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	पीपला-भरतसिंह, सांगानेर (जयपुर)	वगता राम पुत्र मोडाराम जाति पालीवाल निवासी बार्ड नं. 18, गायत्री चौक, बालोतरा ग्रामीण बाडमेर	1166/259	205	रकबा 0.15 हेक्टे में से रकबा 0.0205
			1178/258	248	रकबा 0.11 हेक्टे में से रकबा 0.0248
कुल					0.0453

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 28-09-2023 को जारी की गयी।

  
प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102956

दिनांक: 28/09/2023

लोक सूचना

गीता देवी पत्नी वगत्ताराम तथा वगता राम पुत्र मोठाराम एवं ललिता पालीवाल पुत्र श्री वगत्ताराम निवासी वार्ड नं. 18, गायत्री चौक, बालोतरा ग्रामीण बाण्डमेर जरिये मुख्यतः आम श्री ललिता पालीवाल पुत्र श्री वगत्ताराम निवासी वार्ड नं. 18, गायत्री चौक, बालोतरा ग्रामीण बाण्डमेर

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिवृत्ति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र.सं.	ग्राम सहायता व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (घर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1	पीपला भरतसिंह, सांगानेर (जयपुर)	गीता देवी पत्नी वगत्ताराम निवासी वार्ड नं. 18, गायत्री चौक, बालोतरा ग्रामीण बाण्डमेर	1174 / 257	832	रकबा 0.18 हेक्टे. में से रकबा 0.0832
			1177 / 258	500	0.05
		वगता राम पुत्र मोठाराम जाति पालीवाल निवासी वार्ड नं. 18, गायत्री चौक, बालोतरा ग्रामीण बाण्डमेर	1100 / 259	180	रकबा 0.15 हेक्टे. में से रकबा 0.0180
			1187 / 250	844	रकबा 0.18 हेक्टे. में से रकबा 0.0844
			1175 / 257	39	रकबा 0.010 हेक्टे. में से रकबा 0.0039
			1178 / 258	892	रकबा 0.11 हेक्टे. में से रकबा 0.0892
		ललिता पालीवाल पुत्र श्री वगत्ताराम जाति पालीवाल निवासी वार्ड नं. 18, गायत्री चौक, बालोतरा ग्रामीण बाण्डमेर	1168 / 250	1713	रकबा 0.20 हेक्टे. में से रकबा 0.1713
			1172 / 261	229	रकबा 0.03 हेक्टे. में से रकबा 0.0229
			1176 / 257	852	रकबा 0.11 हेक्टे. में से रकबा 0.0852
			1170 / 258	2800	0.28
कुल					0.8481

इसलिए, इतरके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अनिपुति अधिनियम, 1955 की धारा 83 के अधीन पूर्णतः प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिवृत्ति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईडी पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपरोक्त विधम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जाएगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और सन्तुष्टता प्राप्त करने का निपटारा किया जाएगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 28-09-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

## यू.ओ. नोट

विषय:- विज्ञप्ति प्रकाशन दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में करवाये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति को धुल्ले/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	गू.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	विज्ञप्ति प्रकाशन का कारण
1	श्रीमती छगन कवर पत्नी श्री करण सिंह	श्री करण सिंह पुत्र श्री भवर सिंह	4	166.66	टैगोर	इन्द्र विहार	नियमन	उत्तराधिकार के आधार पर
2	श्री राकेश कविया पुत्र श्री विक्रम सिंह	श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री बलदेव दान	5	300.00	टैगोर	इन्द्र विहार	नियमन	उत्तराधिकार के आधार पर
3	श्रीमती स्नेहलता अग्रवाल पत्नी श्री प्रदीप अग्रवाल	श्री रामजीलाल पुत्र श्री सूरजमल	77	111.11	तोपखाना देशी	सैन्ट्रल कालोनी फेज-III	नियमन	सूची में नाम नहीं
4	श्रीमती मीरा अग्रवाल पत्नी श्री योगेश कुमार	श्री घनश्याम शर्मा पुत्र श्री रामवतार शर्मा	77-ए	111.11	तोपखाना देशी	सैन्ट्रल कालोनी फेज-III	नियमन	सूची में नाम नहीं
5	श्रीमती आंची देवी पत्नी श्री फूलचन्द	श्रीमती ज्योति शर्मा पत्नी श्री राजेश शर्मा	1, 2, 21, 22	81.76	तोपखाना देशी	सैन्ट्रल कालोनी फेज-III	नियमन	सूची में नाम नहीं

उपायुक्त जोन-6  
जविप्रा, जयपुर  
जयपुर, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/जोन-6/23/डी-2898 दिनांक 28.09.2023

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)





# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी- 1846

दिनांक 28/9/2023

## प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन आम सूचना

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्ड के आवेदक द्वारा अपनी सम्पत्ति का भू-उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट [www.jda.urban.rajasthan.gov.in](http://www.jda.urban.rajasthan.gov.in) एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 7 दिवस में मय दस्तावेज सम्बन्धित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू-उपयोग	योजना का नाम (गृ.नि.स. स/निजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान-2025/जोनल विकास योजना अनुसार भू-उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया
1	07	श्रीमती सरोज जोशी पत्नी श्री सत्यनारायण जोशी	श्रीमती सरोज जोशी पत्नी श्री सत्यनारायण जोशी	ए-9	आवासीय	मोती भवन गृ. नि.स.स. की योजना हनुमान नगर-ए	294.62 व.ग.	मिश्रित भू-उपयोग	मिश्रित भू-उपयोग

-54-  
उपायुक्त जोन-7  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान), जविप्रा, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियाँ इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त जोन-7  
उपायुक्त जोन-7  
जविप्रा, जयपुर।  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102920

दिनांक: 28/09/2023

लोक सूचना

श्री रामलाल पुत्र श्री मंगलिया जाति बैरवा ग्राम किशोरपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	किशोरपुरा, सांगानेर (जयपुर)	श्री रामलाल पुत्र श्री मंगलिया जाति बैरवा ग्राम किशोरपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।	21/2	800	0.08
			22/2	2300	0.23
			25/2	3100	0.31
कुल					0.62

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **28-09-2023** को जारी की गयी।

  
प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी-1496

दिनांक 27/9/2023

प्रस्तावित भू- उपयोग उपान्तरण

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन नियम - 2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम- 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्डों के आवेदकों द्वारा अपनी सहमति का भू- उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन किये गये हैं, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट [www.jda.urban.rajasthan.gov.in](http://www.jda.urban.rajasthan.gov.in) एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 7 दिवस में मय दस्तावेज संबंधित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।

क. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू उपयोग	योजना का नाम (ग.नि. स.स./निजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान- 2025/ जोनल विकास योजना अनुसार भू उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया
1	7	गणपति इन्फ्रास्टील्स एलएलपी जरिये श्री विमोर अग्रवाल पुत्र श्री प्रेमकुमार अग्रवाल	गणपति इन्फ्रास्टील्स एलएलपी जरिये श्री विमोर अग्रवाल पुत्र श्री प्रेमकुमार अग्रवाल	321	आवासीय	नेमी सागर (तोपखानादेश ग.नि.स.स.)	494.62 व. ग.	आवासीय	आवासीय

उपायुक्त जोन-7 अधिकारी  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जोन-7, जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक- नगर आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक- मा. प्लान, जविप्रा, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त जोन-7  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी-1835

दिनांक 27/9/23

## प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन आम सूचना

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्ड के आवेदक द्वारा अपनी सम्पत्ति का भू-उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट [www.jda.urban.rajasthan.gov.in](http://www.jda.urban.rajasthan.gov.in) एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 7 दिवस में मय दस्तावेज सम्बन्धित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारी का नाम	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू-उपयोग	योजना का नाम (ग.नि.स. स/निजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान-2025/ जोनल विकास योजना अनुसार भू-उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया
1	07	श्री सुभाष गुप्ता पुत्र श्री मक्खन लाल गुप्ता श्रीमती उषा गुप्ता पत्नी श्री सुभाष गुप्ता	श्री सुभाष गुप्ता पुत्र श्री मक्खन लाल गुप्ता श्रीमती उषा गुप्ता पत्नी श्री सुभाष गुप्ता	डी-10 एवं डी-11	आवासीय	मोती भवन ग. नि.स.स. की योजना हनुमान नगर-डी	1060.00 वर्गगज	मिश्रित भू-उपयोग	मिश्रित भू-उपयोग

S/d  
उपायुक्त जोन-7  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान), जविप्रा, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियाँ इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी  
जविप्रा, जयपुर।  
जोन-7, जविप्रा, जयपुर।



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी- 1837

दिनांक 27/9/2023

## प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन आम सूचना

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन नियम-2010 व. राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम- 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्ड के आवेदक द्वारा अपनी सम्पत्ति का भू-उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट [www.jda.urban.rajasthan.gov.in](http://www.jda.urban.rajasthan.gov.in) एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 7 दिवस में मय दस्तावेज सम्बन्धित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारि का नाम	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू-उपयोग	योजना का नाम (गृ.नि.स. स/ निजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान-2025/ जोनल विकास योजना अनुसार भू-उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया
1	07	श्रीमती रितिका जैन पत्नी ललित कुमार जैन	श्रीमती रितिका जैन पत्नी श्री ललित कुमार जैन	136	आवासीय	तोपखाना देश गृ.नि.स.स. की योजना नेमी सागर कॉलोनी	328.71 वर्गगज	मिश्रित भू-उपयोग	मिश्रित भू-उपयोग

sd  
उपायुक्त जोन-7  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान), जविप्रा, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियाँ इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी  
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी-1850

दिनांक 28/9/23

प्रस्तावित भू- उपयोग उपान्तरण

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन नियम - 2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम- 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्डों के आवेदकों द्वारा अपनी सहमति का भू- उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन किये गये हैं, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट [www.jda.urban.rajasthan.gov.in](http://www.jda.urban.rajasthan.gov.in) एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 7 दिवस में मय दस्तावेज संबंधित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू उपयोग	योजना का नाम (गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान- 2025/ जोनल विकास योजना अनुसार भू उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया
1	7	श्रीमती रुचि फतेहपुरिया पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार फतेहपुरिया एवं श्री जितेन्द्र कुमार फतेहपुरिया पुत्र स्व. श्री नवल किशोर फतेहपुरिया	श्रीमती रुचि फतेहपुरिया पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार फतेहपुरिया एवं श्री जितेन्द्र कुमार फतेहपुरिया पुत्र स्व. श्री नवल किशोर फतेहपुरिया	197	आवासीय	स्कीम नं. 16 ए गिरनार कालोनी (पथिक भवन गृ.नि.स.स.)	444.44 व. ग.	आवासीय	मिश्रित

उपायुक्त जोन-7  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक- नगर आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक- मा. प्लान, जविप्रा, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त जोन-7  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

## यू.ओ. नोट

विषय:- दी सांगानेर को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि. विकास समिति की योजना बालाजी ब्लेसिंग-02 नारायण विहार के सदस्यों की सूची प्रकाशन करवाए जाने बाबत।

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के अन्तर्गत जोन-11 के क्षेत्राधिकार में विकास समिति की योजना दी सांगानेर को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि. विकास समिति की योजना बालाजी ब्लेसिंग-02 नारायण विहार के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत सदस्य सूची जो संलग्न है का प्रकाशन समाचार पत्रों में करवाने का श्रम करावें।

उपरोक्त सदस्यता सूची में किसी भूखण्डधारी/हितधारी/विकासकर्ता को आपत्ति हो तो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस के अन्दर जोन-11 कार्यालय, जविप्रा, जयपुर में लिखित में प्रस्तुत करें। 7 दिवस पश्चात् उक्त योजना का नियमन शिविर आयोजित कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही कर दी जावेगी।

संलग्न-।

क.सं. 1 से 64 सदस्यों की सूची।

उपायुक्त जोन-11  
जविप्रा, जयपुर

जन संपर्क अधिकारी,

जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ. नोट:-जविप्रा/उपा/जोन-11/2023/डी-2792

दिनांक:- 28/9/23


# BALAJI BLESSING 02 VIKAS SAMITI

Naryan Vihar, Bhankrot, Ajmer Road, Sanganer, Jaipur-302026

अध्यक्ष

मो. 9414241967

बालाजी ब्लेसिंग-2, नारायण विहार			
क्र. सं.	नाम	मोबाईल नम्बर	प्लॉट नम्बर
1	लक्ष्मण चौधरी		141
2	सुरज सैनी	9950820540	266-डी
3	अनिल यादव		
4	राम स्वरूप शर्मा	9887829082	63-ए
5	पोलुराम सैनी	9001084335	92-ए
6	मुकेश सैनी	9799717181	229
7	दुर्गा लाल जांगिड	9982065913	225
8	तुलसी राम चौधरी		229-ए (डी)
9	राम किशन जांगिड		235
10	महावीर जांगिड		229
11	नारायण प्रजापत	9636295417	54-बी
12	देव जी शर्मा	8503900328	67
13	गिधारी सैनी		67
14	बाबूलाल कुमावत		
15	ओमेन्द्र शर्मा		
16	सुरेन्द्र शर्मा	9694689163	67
17	मुकेश कुमार	9828811888	68
18	सत्यनारायण शर्मा	8619482761	92-ए (डी)
19	कैलाश		70-डी
20	रमेश		71
21	सीताराम		72

Balaji Blessing 02 Vikas Samiti  
  
 President





# BALAJI BLESSING 02 VIKAS SAMITI


Naryan Vihar, Bhankrot, Ajmer Road, Sanganer, Jaipur-302026

75

अध्यक्ष

मो. 9414241967

22	हेमन्त योगी	9887562858	75-डी
23	जयदीप शर्मा		78-डी
24	रामसिंह		
25	सकराम कुमावत	9636356940	
26	शंकर जांगिड		
27	मुलचन्द शर्मा	9928200401	245
28	जगदीश शर्मा	7891163377	
29	एन. एस भाटी		
30	उमराव जांगिड		
31	देवीलाल जांगिड		
32	राजेश कुमार		
33	उमराव के सामने		
34	पवन शर्मा		
35	कन्हैया लाल	8560912834	92-बी
36	राजू जी		
37	भंवर गुर्जर		
38	मधुबाला जांगिड		
39	शंकर जांगिड	7742089977	
40	जगदीश सैनी	9414518122	227-डी
41	कैलाश जांगिड	9414361502	1 ए (डी)
42	धर्मराज चौधरी		
43	प्रमोद चौधरी		
44	प्रमोद मेहता	9414066141	62-ए

Balaji Blessing 02 Vikas Samiti  
  
 President



# BALAJI BLESSING 02 VIKAS SAMITI

Naryan Vihar, Bhankrot, Ajmer Road, Sanganeer, Jaipur-302026

अध्यक्ष

नं. 9414241967

45	सुनिल जी		
46	लाला जी जांगिड	8058463955	229
47	राजकुमार गोयल	9414653251	55-डी
48	राजू सैनी	9784548181	140-डी
49	शुकराम प्रजापत	9636356940	1 सी (डी)
50	समसूदिन खान	7737892786	242-डी
51	ममता शर्मा	9928200401	41-डी
52	नरेन्द्र पाल सिंह	9314534215	243-डी
53	सुरेन्द्र तिवाडी		67
54	मुलचन्द शर्मा	9928200401	11-डी
55	जगदीश शर्मा	9928200401	11-ए (डी)
56	दिनेश शर्मा	9928200401	12-डी
57	महेन्द्र कुमार मिततल		28 सी (डी)
58	राकेश कुमार धनकड		29 (डी)
59	हरि सिंह गोदारा		30 (डी)
60	बुद्धि प्रकाश चौधरी		28 बी (डी)
61	हरि सिंह गोदारा		7 (डी)
62	संतोष कुमार अग्रवाल		8 (डी)
63	बुद्धि प्रकाश चौधरी		10 (डी)
64	देव कुमार पिंगोलिया		9 (डी)

Balaji Blessing 02 Vikas Samiti

*(Signature)*  
President



# जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी- 1647

दिनांक:-  
28/4/2023

## आमसूचना

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2022 के तहत जोन-7 के क्षेत्राधिकार में स्थित माधव गृ.नि.स.स. की योजना- राजेन्द्र नगर के भूखण्डधारियों द्वारा समिति द्वारा प्रस्तुत आवंटन पत्र एवं अन्य सबूतों के आधार पर पट्टा जारी किये जाने का आवेदन किया गया है। भूखण्डधारियों की सूची निम्नानुसार है

क्र.सं	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या
1	श्री रवि अग्रवाल	1
2	श्री अंकुर गुप्ता	2
3	श्री जय प्रकाश शर्मा	3
4	श्री बी.एस.शेखावत	4
5	जानकारी का अभाव	5
6	जानकारी का अभाव	6
7	श्री कमल किशोर महर्षि	7
8	श्री एस.सी.शर्मा	7-A
9	मानवेन्द्र सिंह राजपुरोहित	8
10	जानकारी का अभाव	9
11	जानकारी का अभाव	10
12	जानकारी का अभाव	11
13	जानकारी का अभाव	12
14	श्री राजेश शर्मा	13
15	श्री के.पी. शर्मा	13-A
16	श्रीमती माधमती वर्मा	14
17	जानकारी का अभाव	15
18	श्री प्रताप सिंह (बिग्रेडियर)	16
19	जानकारी का अभाव	17
20	श्री चैन सिंह राजपुरोहित	18
21	श्री गौतम केजरीवाल	19
22	श्री मनीष स्वामी	20
23	जानकारी का अभाव	21
24	श्री रोहन पुनियां/श्री रामनिवास पुनियां	22
25	श्री हेमन्त अग्रवाल	23
26	श्री रामजीलाल अग्रवाल	24
27	जानकारी का अभाव	25
28	श्री रवि अग्रवाल व मधुरिमा अग्रवाल	26
29	जानकारी का अभाव	27
30	जानकारी का अभाव	28
31	श्री सुभाष तिवारी	29
32	श्री विकास खण्डेलवाल	29-A
33	श्री मनोज जी जैन	30
34	श्री पंकज जी जैन (राजेश जी)	30-A

उपायुक्त जोन-7  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर



# जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

35	श्री पी.एस.चौहान	31
36	श्री कौशलेन्द्र प्रताप सिंह	31-A
37	श्रीमती महेन्द्र कुमारी	32
38	श्री दिनेश टाक	32-A
39	श्री अनूप अग्रवाल	33
40	श्री संजीव गुप्ता	33-A
41	श्री अरूण सिंह	34-A
42	श्री प्रवीण खण्डेलवाल	34-B
43	श्री मनोज टाक	34
44	श्री सुनयन शर्मा (आई.एफ.एस.)	35
45	श्री सुनयन शर्मा (आई.एफ.एस.)	36
46	श्री महेन्द्र चौधरी	37
47	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	38
48	श्री भरत सिंह	39
49	श्री सुरेश कुमार	40
50	श्री राजवीर सिंह	41
51	जानकारी का अभाव	42-A
52	जानकारी का अभाव	42-B
53	जानकारी का अभाव	42-C
54	डॉ अमर सिंह धूत/राकेश धूत	43
55	श्री नटवर सिंह शेखावत	44
56	श्री ओमप्रकाश चाहर	44-A
57	श्री संदीप अग्रवाल	45
58	जानकारी का अभाव	45-A
59	श्री रामजीलाल गुप्ता	46
60	श्री तरुण बोथरा	47
61	श्रीमती बेबी कंवर तंवर पत्नी श्री एल.के.सिंह	47-A
62	श्रीमती मनोरमा देवी / श्रीमती मनीषा शर्मा	48-A
63	श्री अशोक माहेश्वरी	48-B
64	श्रीमती आनन्द कंवर	48
65	श्री भंवर सिंह शेखावत	48-C
66	जानकारी का अभाव	49
67	श्रीमती राकेशवती पत्नी स्व. रामपाल सिंह	50-A
68	श्रीमती शीला देवी	C-50
69	श्री नवीन शर्मा	C-50-A
70	श्री कनिष्क कौशिक पुत्र श्रीमती बृज रानी कौशिक	D-50
71	श्री रमेश धोलीवाल / कमल	50-A
72	श्री योगेश पारीक	50-B(1)
73	श्री ललित किशोर शर्मा	51
74	श्री रमेश यादव	52
75	श्री डॉ. अरूण सिंह	53
76	श्री आशीष भारद्वाज	54
77	श्री के.डी. चारण / हिमांशु	55

उपायुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर



# जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

78	श्री अमित चारण पुत्र श्री अखिलेश चारण	56
79	श्री सतवीर सिंह (आर.पी.एस.)	57
80	श्री सतवीर सिंह (आर.पी.एस.)	58
81	श्री हीरालाल चौधरी	59
82	जानकारी का अभाव	59-A
83	जानकारी का अभाव	60
84	श्री गुलशन मारवाह	61
85	श्री बिनोद जोशी	62
86	श्री सुधीर पचार	62-A
87	श्री चन्द्रेश भारद्वाज	63
88	श्री मुकेश भारद्वाज	64
89	डॉ. अभिलाषा भार्गव	65
90	कर्नल डी.एस.हाडा/श्री ए.एस. संगवान	66
91	श्री तारा चन्द/बसन्त असवाल	67
92	श्री अमर सिंह	68
93	श्री अमर सिंह	69
94	श्री जे.पी. अग्रवाल	70
95	श्री अनिल चौधरी	71
96	डॉ. लक्ष्मी सिंह/श्री महावीर सिंह	72
97	डॉ. लक्ष्मी सिंह/श्री महावीर सिंह	73
98	श्री एस.एस. धनकड़	74
99	श्री गिरिराज सिंह राणावत	75 North Part
100	श्री प्रदीप सिंह (यशु)	75 South Part
101	श्री नवीन मण्डा	76
102	श्री जयन्त जैन	77
103	श्रीमती भारती अजमेरा/भारती माहेश्वरी	78
104	श्री रामस्वरूप बागड़ा	79
105	श्री एस.सी.शर्मा	80
106	श्री संजय बुन्देला	81
107	श्री राजेन्द्र शर्मा	82
108	श्री वाई.एन.माथुर	82-A
109	श्री सुल्तान सिंह चौधरी	83
110	श्री मनोज टाक	84
111	श्री प्रनेश गुप्ता	85
112	जानकारी का अभाव	85-A
113	जानकारी का अभाव	85-B
114	श्री रणवीर सिंह तोमर	86
115	श्री भंवर सिंह शेखावत	87
116	श्री बिनोद शर्मा/शैलेंद्र	94
117	श्रीमती नम्रता मैसी	94-A
118	श्री अमित भट्टाचार्य	94-B
119	जानकारी का अभाव	95
120	श्रीमती संगीता अग्रवाल	96-A

उपायुक्त जैन-7  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर



# जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

121	श्री पवन धोलीवाल	6-B
122	श्री माधो प्रसाद सोनी	96-B
123	श्री प्रवेश जैन	97
124	श्री राजेश कुमार दाधीच	98
125	श्री आर.बी. सिंह	99
126	श्री सुरेश कुमार लेफ्ट.कर्नल	99-A
127	श्री सुरेश पारीक	100
128	श्री मुकेश पारीक	100-A
129	श्री अजय भाटिया	101
130	जानकारी का अभाव	101-A
131	डॉ. प्रताप सिंह	102
132	श्री महावीर श्योरायन	102-A
133	श्री रमेश कुमार मोहपाल	103
134	श्री प्रदीप अग्रवाल	103-A
135	जानकारी का अभाव	104
136	श्री भवानी सिंह	105
137	श्रीमती विमला देवी पत्नी सुरेन्द्र सिंह	106
138	श्री नन्दलाल कुमावत	107
139	श्री खेमचन्द कुमावत	107-A
140	श्री प्रभूनारायण पुत्र रामदेव कुमावत	108
141	श्री अजमल सिंह धायल	109
142	श्रीमती संगीता शर्मा	109-A
143	श्री अनिल कुमार शर्मा	110
144	श्री रवि रंजन	110-A
145	श्री एस.पी. यादव	111
146	श्री राजेश कुमार पारीक	112
147	श्री दुष्यन्त राठौड़	113-A
148	श्री राकेश मल्हौत्रा	113
149	श्री पुरुषोत्तम शर्मा	114
150	श्री मनमोहन शर्मा	114-A
151	श्रीमती धाकर	115
152	श्री मदन चंद पिन्वा	116
153	श्री जयरथ मैसी/दिनेश मेसी	116-A
154	श्री उदय सिंह	117
155	श्रीमती मधुरिमा अग्रवाल	118
156	श्री निरंजन पोद्दार	118-A
157	श्री कमलेश तिवाडी	119-A
158	श्री राव रंजीत सिंह	119
159	श्री कुमावत (साडू)	120
160	श्री चन्दा लाल कुमावत	120-A
161	श्री अविनाश पायल पुत्र जी.एल.पायल	121
162	श्री सोमवीर सिंह तंवर	122
163	श्री उदय सिंह शेखावत	122-A

उपायुक्त जोन-7

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर

रामकिशोरव्यासभवन, इन्दिरासर्किल, जवाहरलालनेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष (0141-2560165) : ईपीबीएक्स-0141-2569696, एक्सटेंशन : 8240 फैक्स : 91+141-257455



# जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

164	श्रीमती ज्योति रंजन	123
165	जानकारी का अभाव	124
166	श्री दिलीप सिंह चौहान	125-A
167	श्री रतिकान्त आर्य	125-B
168	श्री भौमराज सिंह जानू	126
169	श्री विजय सिंह शेखावत	127
170	श्रीमती निर्मल राठौड़ पत्नी उदय सिंह	128-A
171	श्री अश्विनी शर्मा	128-A(2)
172	श्री गजेन्द्र सिंह	128-B
173	श्री प्रेम सिंह बनवासा	128-B (2)
174	जानकारी का अभाव	129
175	डॉ. अभिषेक गुप्ता	130
176	जानकारी का अभाव	131
177	जानकारी का अभाव	132
178	श्री आई.एस. सुहाग (कर्नल)	133
179	श्री सुमेर सिंह राठौड़	134
180	श्री अमर सिंह राठौड़	135
181	श्री आई.वी. सिंह	136
182	श्री केशरी सिंह	137
183	श्रीमती बेबी रानी पत्नी भगवान सिंह	S-88
184	श्री गौरी शंकर गुप्ता	S-1
185	श्री शिव रतन शर्मा	B-66
186	श्री एस.सी. जोशी	S-5
187	श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत	S-3
188	श्री रामकरण अग्रवाल	S-2
189	श्री सत्यम द्विवेदी	C-66
190	श्री दिनेश महर्षि	39-B
191	श्री देवी सिंह राठौड़	39-A
192	श्री प्रदीप पुत्र रघुनाथ राजपुरोहित	39-A(1)
193	श्री भूरा राम	A-11
194	श्री परमेश सोनी	S-13
195	श्री मोहन पिलाई	10-A
196	श्री विनोद कुमार सोनी	14-A
197	श्रीमती ऊषा शर्मा	11

उपायुक्त जोन-7  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर

अतः उपरोक्त के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथी से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर-219 में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में जविप्रा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

उपायुक्त जोन-7  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर



# जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में करवा कर अद्योहस्ताक्षर कर्ता को सूचित करवाने का श्रम करावें।

उपायुक्त जयपुर  
उपायुक्त जोन-7  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर





# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

V-197  
28/1/23

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी-1836

दिनांक 27/1/2023

## प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन आम सूचना

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्ड के आवेदक द्वारा अपनी सम्पत्ति का भू-उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट [www.jda.urban.rajasthan.gov.in](http://www.jda.urban.rajasthan.gov.in) एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 7 दिवस में मय दस्तावेज सम्बन्धित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारी का नाम	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू-उपयोग	योजना का नाम (ग.नि.स.स/निजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान-2025/जोनल विकास योजना अनुसार भू-उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया
1	07	श्री जितेन्द्र कुमार फतेहपुरीया पुत्र श्री नवल किशोर फतेहपुरीया एवं श्री राज कुमार खुबानी पुत्र श्री भैरूमल खुबानी	श्री जितेन्द्र कुमार फतेहपुरीया पुत्र श्री नवल किशोर फतेहपुरीया एवं श्री राज कुमार खुबानी पुत्र श्री भैरूमल खुबानी	06	आवासीय	पथिक भवन ग.नि.स.स. की योजना स्कीम नं. 16ए गिरनार कॉलोनी	0.00 व.ग.	मिश्रित भू-उपयोग	मिश्रित भू-उपयोग

उपायुक्त जोन-7  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
- अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान), जविप्रा, जयपुर।
- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियाँ इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त एवं प्रमुख अधिकारी  
जविप्रा, जयपुर।  
जोन-7

**जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**  
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।  
प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

क्रमांक:जविप्रा/उपा./जोन-14/2023/डी- 2414

दिनांक:- 28/9/2023


**लोक सूचना**

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 90-क के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान्/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा/सहमति पत्र भूमि हस्तान्तरित होने के कारण श्री महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर की आवासीय योजना भुवनेश्वरी वाटिका के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार अधिनियम की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90-क, धारा 91 सपठित धारा 90-क(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 (11) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत पर्यावक्षित किए जाने योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क, धारा 91 सपठित धारा 90-क (5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 (11) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावक्षित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुनर्ग्रहित कर लिया जावें।

सहकारी समिति/विकास समिति का नाम	ग्राम/तहसील का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	वर्तमान खातेदार का नाम		
भुवनेश्वरी वाटिका विकास समिति (श्री महावीर स्वामी गृ.नि. स.स.लि.)	ग्राम दयालपुरा तहसील सांगानेर	4	0.60 में से 0.14	गोविन्दा पुत्र हीरालाल हि. 3/8, नारायणी पत्नी स्व. पांचूराम हि. 5/16, भौरीलाल पुत्र पांचूराम हि. 5/16 जाति मीणा सा.दुर्गापुरा खातेदार		
		5	0.07 में से 0.04			
		किता 02	कुल रकबा 0.67 हैक्ट. में से 0.18 हैक्ट.			
				6	0.15	गोविन्दा पुत्र हीरालाल हि. 3/8, नारायणी पत्नी स्व. पांचूराम हि. 1/16, भौरीलाल पुत्र पांचूराम हि. 1/16 जाति मीणा सा.दुर्गापुरा खातेदार
				7	0.31	
				8	0.56	
				कुल किता 03	कुल रकबा 1.02 हैक्ट. में से हिस्सा 1/2 रकबा	

  
 उपायुक्त  
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

		0.51 हैक्ट.
	किता 05	कुल रकबा 0.69 हैक्ट.

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 17(1)नविवि/अभियान/ 2021/म.म.ग. जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 में उल्लेखित कृषि भूमि पर 17.06.1999 से पूर्व की कॉलोनियों में स्वप्रेरणा से अथवा स्थानीय निकाय द्वारा संदर्भित करने पर धारा 90-क(8) की कार्यवाही करने का प्रावधान है। दिनांक 17.06.1999 के पश्चात की कॉलोनियों में धारा 91 सपटित धारा 90-क (5) एवं तदधीन बनाये गये राजस्थान (नगरीय क्षेत्र कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा आवंटन) नियम-2012 के नियम 4 में किए गए संशोधन के अन्तर्गत भूखण्डधारी/विकास समिति के प्रार्थना पत्र अथवा निकाय के संदर्भित से स्वप्रेरणा से कार्यवाही करने का अधिकार होने से इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में कमरा नं पी.बी. टी.एफ-326 पार्किंग भवन, तृतीय मंजिल, जविप्रा, जयपुर स्थित न्यायालय में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियाँ प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुनर्ग्रहित किया जा सकेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन दिनांक 28/09/23 को जारी की जाती है।

उपायुक्त  
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
जोन-14,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।
2. तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त  
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
जोन-14,  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

**जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**  
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।  
प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

क्रमांक:जविप्रा/उपा./जोन-14/2023/डी-2413

दिनांक:- 28/09/2023

**लोक सूचना**

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 90-क के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान्/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा/सहमति पत्र भूमि हस्तान्तरित होने के कारण बस्सी सीतारामपुरा-बी भवन निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर की आवासीय योजना श्याम नगर के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।


उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार अधिनियम की धारा 90-क(8) के विपरीत होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90-क, धारा 91 सपठित धारा 90-क(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 (1) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत पर्यावक्षित किए जाने योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क, धारा 91 सपठित धारा 90-क (5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुनर्ग्रहित कर लिया जावे।

क.सं.	ग्राम/ तहसील	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	वर्तमान खातेदार का नाम	
1.	ग्राम बीलवाकंला तह. सांगानेर	395 / 2040	0.51	गोविन्द नारायण पुत्र रुघनाथ हि. 1/2 एवं नारायणलाल पुत्र रुघनाथ हि. 1/2 जाति बैरवा सा.देह. खातेदार	
2.	ग्राम बड़ी का बास तह. सांगानेर	257	0.34	गोपाल, जगदीश, नैनूराम, बरदीचन्द, रामकरण पि. रामनारयण हि. 5/6 जाति मीणा सा.देह. खातेदार	
3.		257 / 495	0.37		
4.		263	0.13		
किता 03		कुल रकबा 0.84 हैक्ट. में से हि. 5/6 रकबा 0.70 हैक्ट.			
5.		264	0.05	जगदीश, भंवरलाल, सेडूराम पुत्रान लादुराम हिस्सा पूर्ण जाति मीणा सा.देह.खातेदार	
6.		265	0.41		
7.		266	0.70		
8.		292	0.35		चन्दा पुत्र रघुनाथ हिस्सा पूर्ण जाति मीणा सा. देह. खातेदार
9.		293	0.11		
10.		133	0.75		जगदीश, भंवरलाल, सेडूराम पुत्रान लादुराम हिस्सा पूर्ण जाति मीणा सा.देह.खातेदार
11.		134	0.60		
12.		274	0.26		
13.	272	0.41			
		किता 13	कुल रकबा. 4.85 हैक्ट.		

-14  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 17(1)नवि/अभियान/ 2021/म.म.॥ जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 में उल्लेखित कृषि भूमि पर 17.06.1999 से पूर्व की कॉलोनीयों में स्वप्रेरणा से अथवा स्थानीय निकाय द्वारा संदर्भित करने पर धारा 90-क(8) की कार्यवाही करने का प्रावधान है। दिनांक 17.06.1999 के पश्चात की कॉलोनीयों में धारा 91 सपठित धारा 90-क (5) एवं तदधीन बनाये गये राजस्थान (नगरीय क्षेत्र कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा आवंटन) नियम-2012 के नियम 4 में किए गए संशोधन के अन्तर्गत भूखण्डधारी/विकास समिति के प्रार्थना पत्र अथवा निकाय के संदर्भित से स्वप्रेरणा से कार्यवाही करने का अधिकार होने से इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में कमरा नं पी.बी. टी.एफ-326 पार्किंग भवन, तृतीय मंजिल, जविप्रा, जयपुर स्थित न्यायालय में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियाँ प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुनर्ग्रहित किया जा संकेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन दिनांक ..... को जारी की जाती है।

  
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।
2. तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

  
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त  
जोन-14,  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर